भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **1832**
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024 / 10 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत गैर-परिचालन मार्ग

1832. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः
श्री अमर शरदराव कालेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री संजय दीना पाटिलः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उड़ान योजना के अंतर्गत ऐसे मार्गों की कोई अद्यतन सूची प्रदान कर सकती है जिन पर प्रचालन शुरू नहीं हुआ है और यदि हां, तो क्षेत्र और विमानपत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश भर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के लिए उड़ान योजना में शामिल करने हेतु परिचालन शुरू नहीं होने वाले ऐसे मार्गों की पहचान करने और प्राथमिकता देने के मानदंड और विमर्श क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत विशेष रूप से दूरस्थ और अयोग्य क्षेत्रों में परिचालन रहित मार्गों के प्रचालन में निजी निवेश और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपाय क्या हैं;
(घ) सरकार द्वारा यात्रियों की संख्या, परिचालन दक्षता और आर्थिक व्यवहार्यता के संदर्भ में उक्त योजना के अंतर्गत परिचालन सहित मार्गों पर परिचालन करने वाली एयरलाइनों के प्रदर्शन और सफलता की निगरानी और मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किस प्रकार किया जाता है;
(ङ) क्या सरकार भविष्य में अतिरिक्त परिचालन रहित मार्गों को शामिल करने के लिए उड़ान के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो शामिल किए जाने के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित मानदंड क्या हैं;
(च) क्या सरकार को उड़ान के अंतर्गत परिचालन रहित मार्गों की आवंटन प्रक्रिया में किसी चुनौती या बाधा का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम क्या हैं; और
(छ) उक्त योजना के अंतर्गत परिचालन रहित मार्गों पर सेवाएं शुरू करने के लिए एयरलाइंस या ऑपरेटरों को दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन या राजसहायता का ब्यौरा और इन प्रोत्साहनों की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (छ) आरसीएस-उड़ान बाजार-आधारित योजना है, जिसमें संपर्क प्रदान करने के लिए एयरलाइनों द्वारा बोली लगाने हेतु असेवित और अल्पसेवित हवाईपट्टियों/हवाईअड्डों को सूचीबद्ध किया जाता है। योजना के तहत और अधिक गंतव्यों और मार्गों को शामिल करने के लिए

समय-समय पर बोली प्रक्रिया के दौर आयोजित किए जाते हैं। विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर, इच्छुक एयरलाइनें उड़ान योजना के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। उड़ान योजना के अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल हवाईअड्डा, जिसे उड़ान योजना प्रचालन शुरू करने के लिए स्तरोन्नयन/विकास की आवश्यकता है, उसे 'असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का जीर्णोद्धार' योजना के तहत विकसित किया जाता है। हवाईअड्डे के विकास और तैयार हो जाने के उपरांत, चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) इन हवाईअड्डों को जोड़ने वाले उड़ान मार्गों पर प्रचालन शुरू करते हैं। एसएओ को ऐसे उड़ान मार्गों पर एयरलाइन प्रचालन की लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वित्तीय (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण या वीजीएफ) सहायता प्रदान की जाती है। अब तक उड़ान योजना के 5 दौरों के अंतर्गत 12 बोली चक्र आयोजित किए जा चुके हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत अवार्ड किए गए कुछ मार्ग, जो 3 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले बंद कर दिए गए थे, उन्हें उड़ान दौर 5.3 के अंतर्गत पुनः बोली के लिए प्रस्तुत किया गया है।

हवाईअड्डों के प्रचालन में कभी-कभी निम्नलिखित कारणों से विलंब होती है:
1. भूमि की अनुपलब्धता के कारण विलंब
2. कुछ हवाईअड्डों पर तकनीकी और प्रचालन संबंधी बाधाएँ
3. नए प्रवेशी एयरलाइनों द्वारा अनुसूचित कम्यूटर प्रचालक परमिट प्राप्त करने में विलंब
4. अन्य मुद्दे जैसे उपयुक्त विमान की अनुपलब्धता, विमान पट्टे के मुद्दे, छोटे विमानों के रखरखाव के मुद्दे, आदि।

एसएओ को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा निम्नानुसार विभिन्न रियायतें भी प्रदान की जाती हैं:

हवाईअड्डा प्रचालक:
i) हवाईअड्डा प्रचालक आरसीएस उड़ानों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क नहीं लगाएंगे।
ii) एएआई, आरसीएस उड़ानों पर कोई टर्मिनल दिक्चालन अवतरण शुल्क (टीएनएलसी) नहीं लगाएगा।
iii) एएआई द्वारा आरसीएस उड़ानों पर सामान्य दरों के 42.50% की दर से, रियायती आधार पर, मार्ग दिक्चालन और सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) लगाया जाना है।
iv) इस योजना के तहत चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को सभी हवाईअड्डों पर प्रचालन के लिए स्व-ग्राउंड हैंडलिंग की अनुमति दी गई है।

केंद्रीय सरकार:
i) इस योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए एसएओ द्वारा आरसीएस हवाईअड्डों से खरीदे गए विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।
ii) एसएओ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों एयरलाइनों के साथ कोड शेरिंग व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं।

राज्य सरकार द्वारा अपने राज्यों में अवस्थित आरसीएस हवाईअड्डों पर:
i) राज्य में अवस्थित आरसीएस हवाईअड्डों पर एटीएफ पर वैट को 10 वर्ष की अवधि के लिए 1% या उससे कम करना।
ii) आरसीएस हवाईअड्डों के विकास के लिए, यदि आवश्यक हो, तो न्यूनतम भूमि निःशुल्क और भारमुक्त उपलब्ध करवाना तथा आवश्यकतानुसार मल्टी-मॉडल हिन्टरलैंड संपर्क प्रदान करना।
iii) आरसीएस हवाईअड्डों पर निःशुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना।

iv) आरसीएस हवाईअड्डों पर काफी रियायती दरों पर बिजली, पानी और अन्य उपयोगिता सेवाएं प्रदान करना या उपलब्ध करवाना।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए चयनित एयरलाइन प्रचालकों को अब तक 3587 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

*****